उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग
संख्या 634/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/25/2007
देहरादूनः दिनांक 14 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

भोजनमाताओं के चयन एवं पृथक्करण के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रही शिकायतों के दृष्टिगत शासन द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त शासनादेश संख्या–524/XXIV(1)2012-25/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के बिन्दु 1(1) को निम्नवत संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

"विद्यालयों में भोजनमाता को सर्वसम्मति से चयनित करने तथा उन्हें कार्य से पृथक करने का समस्त उत्तरदायित्व विद्यालय की प्रबन्धन समिति/शिक्षक अभिभावक एसोसियेशन का होगा। चयन एवं पृथक्करण के प्रस्ताव पर सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त करना होगा। उप शिक्षा अधिकारी द्वारा तथ्यों का भली–भांति परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।"

(रंजना)
अपर सचिव

संख्या 634(1)/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/25/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को उनके कार्यालय पत्रांक/रा0प0का0/266/एम0डी0एम0/03(2016)/2016–17 दिनांक 29 जुलाई, 2016 के क्रम में।
7– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(नन्दन सिंह बिष्ट)
अनु सचिव

Scanned with Cam